शिक्षा का अधिकार

सर्व शिक्षा अभियान

सब पढ़ें सब बढ़ें

'ROSA'

बच्चों के शिक्षा व संरक्षण को सशक्त करने हेतु विद्यालय प्रबंध समिति के लिए "साझेदारी माड्यूल"

द्वारा:– रोजा संस्थान, वाराणसी उ0प्र0।

सहयोग

शिक्षा विभाग व महिला एवं बाल विकास विभाग

जनपद, बलरामपुर

श्री सुशील कुमार सिंह
जिला प्रोबेशन अधिकारी/
जिला बाल संरक्षण अधिकारी,
जनपद – बलरामपुर, उ0प्र0।

दो शब्द

बाल संरक्षण और शिक्षा क्षेत्र मानवीय संन्दर्भ में आवश्यक और पूरक भूमिका निभाते है। बच्चों की सुरक्षा और संरक्षण हम सभी का एक महत्वपूर्ण कर्तव्य है। जिसमें अनिवार्य शिक्षा भी शामिल है रोजा संस्थान द्वारा तैयार साझेदारी माड्यूल बाल संरक्षण और शिक्षा के अधिकारों को बढ़ावा देने में पथ प्रदर्शिका का काम करेगी।

शुभकामनाओं सहित।

दिनांक : 06/09/2024

श्री सुशील कुमार सिंह

श्री शुभम शुक्ला
जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
जनपद बलरामपुर, उ0प्र0।

दो शब्द

समुदाय सभी बच्चों को सार्थक गुणवत्ता अधिगम का अवसर उपलब्ध कराने का पर्याप्त सामर्थ्य रखता है, जिसके लिए बच्चों को सीखने में विस्तृत अवसर प्रदान करने वाले समुदाय विद्यालय मे विकास और प्रबंधन की प्रक्रिया में सक्रिय एवं बराबर के भागीदार के रूप में मिलकर काम कर रहे है ऐसा अनुभव रहा है कि जहां विद्यालय के विकास एवं प्रबंधन प्रक्रिया में समुदाय की सक्रिय भूमिका रही है, वहां शिक्षा का स्तर अपेक्षाकृत बेहतर रहा है, आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि रोजा संस्थान के सहयोग से विद्यालय प्रबंध समिति का "साझेदारी" मॉड्यूल समिति के सदस्यों के बेहतर मार्गदर्शन व बाल संरक्षण की बेहतर समक्ष के लिए एवं साधन सेवियों की क्षमता निर्माण में उपयोगी सिद्ध होगा।
शुभकामनाओं सहित।

दिनांक : 06 / 09 / 2024

श्री शुभम शुक्ला

पृष्ठभूमि

विद्यालय प्रबंध समिति– निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम– 2009 एवं उत्तर प्रदेश निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा नियमावली 2011 के अर्न्तगत प्रदेश के समस्त विद्यालयों गैर–अनुदानित विद्यालयों को छोडकर विद्यालय प्रबंध कमेटी का गठन इस उद्देश्य के साथ किया गया है कि बच्चों के अधिकारो के हनन तथा विशेष रूप से बालकों का मानसिक एवं शारीरिक उत्पीड़न को रोकने के साथ–साथ बच्चों का विद्यालयों मे शत–पतिशत नामांकन को सुनिश्चित किया जा सके तथा विद्यालय के कार्यप्रणाली का अनुश्रवण, विकास योजना का निर्माण करते हुए एक बाल संरक्षण तंत्र बनाया जा सके। साथ ही आर0टी0ई0 2009 की धारा 21 के अन्तर्गत समुदाय एवं माता–पिता को यह अवसर प्राप्त है कि अपने बच्चों के लिए विद्यालय प्रबन्ध समिति मे शामिल होकर विद्यालयो में समुदाय की सहभागिता सुनिश्चित करे। शिक्षा के अधिकार अधिनियम में विद्यालय प्रबन्ध समिति एवं स्थानीय प्राधिकारी की महत्वपूर्ण भूमिका है। विद्यालय प्रबन्ध समिति क सदस्यों द्वारा प्रतिदिन विद्यालय मे पहुँचकर विद्यालय संचालन में सहयोग प्रदान किया जा रहा है।

संस्था के बारें मे

Rural Organization for Social Advancement- "ROSA" एक समाज सेवी संस्था है, संस्था उत्तर प्रदेश के पूर्वी जिलों में विगत 21 वर्षो से जनहित में अपनी सेवाएं प्रदान कर रही है। संस्था निःशुल्क स्वास्थ्य एवं पोषण, शिक्षा जागरूकता, आजीविका हेतु सहायता, बाल संरक्षण पर बचावात्मक पहल, राहत सहायता, बालिका एवं महिला विकास और कोविड टीकाकरण जागरूकता आदि के मुद्‌दें पर ग्रामीण क्षेत्रों में कार्य कर रही है। संस्था स्थानीय स्तर पर सम्बन्धित विभागों के साथ साख्य, संवाद व सहयोग के माध्यम से स्थानीय स्तर पर समन्वयन के साथ संस्थागत गतिविधियों का संचालन करती आ रही है।

निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 तथा उत्तर प्रदेश निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियमावली 2011 का संक्षिप्त परिचय

देश के सभी लोगों के विकास के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल, परिवहन सुविधाओं को जन–जन तक पहुँचाने के लिए कई कार्यक्रम चलाये गये जिससे व्यक्तियों के जीवन स्तर में सुधार हुआ है। बच्चों को शिक्षा देने के लिए बहुत से प्रयास किये गये है, जिनमें छात्रवृत्ति, यूनीफार्म, मध्याहन भोजन, पाठ्य पुस्तकें, आदि को मुफ्त देना शामिल है। इन प्रयासों से बच्चों के नामांकन में काफी सुधार हुआ। जो बच्चे विद्यालय जाते है, उनमें से कक्षा–8 तक पहुंचते–पहुंचते काफी संख्या में बच्चे विद्यालय छोड़ देते हैं। उनमें भी जो बच्चे कक्षा–8 पास हो जाते हैं, उनका स्तर कक्षा अनुरूप नहीं होता है। देश की संसद, सरकार, अदालत, विचारक, जन–संगठनों आदि द्वारा शिक्षा की योजनाओं की समीक्षा करते हुए यह पाया कि बच्चों की शिक्षा को बेहतर बनाने, सब तक पहुंचाने, संसाधन को बढाने और शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने के लिये कानून की जरूरत है। इसको ध्यान में रखते हुए पिछले कई सालों में विचार/विमर्श के बाद संसद ने देश के संविधान में "06–14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने के लिये एक कानून वर्ष 2009" मे ं बनाया, जो "06–14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009" संक्षेप में (आर0टी0ई0) के नाम से 01 अपैल 2010 से पूरे देश में लागू हो गया है। इसके लागू होने के बाद अब 06–14 वर्ष के बच्चों को कक्षा–8 तक की निःशुल्क गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पाने का मौलिक अधिकार हो गया है। अधिनियम के प्रावधानों को लागू करने हेतु उ0प्र0 शासन द्वारा निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 से सम्बन्धित नियमावली की अधिसूचना 27 जुलाई, 2011 को जारी की गयी है।

निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम–2009 एव ं उत्तर प्रदेश निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियमावली, 2011 की मुख्य बातें :

➢ 6 से 14 वर्ष की आयु के हर एक बच्चे को प्रारम्भिक शिक्षा पूरा करने तक अपने पड़ोस के विद्यालय में निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। इसके लिए किसी भी बच्चे को किसी भी तरह के शुल्क या खर्च नहीं देने होंगे, जो कि उसे प्रारम्भिक शिक्षा को पूरा करने से रोकें।

➢ ऐसा बच्चा जिसकी उम्र 6 साल से ऊपर है, जो किसी विद्यालय में दाख़िल नहीं है अथवा है भी तो अपनी प्राथमिक शिक्षा पूरी नहीं कर पाया है, उसे उसकी उम्र के अनुरूप कक्षा में प्रवेश दिया जाएगा। साथ ही सीधे तौर से दाख़िला लेने वाले बच्चों के समकक्ष आने के लिए उसे तीन से चौबीस महीने की समय सीमा तक विशेष प्रशिक्षण दिया जायेगा। प्राथमिक शिक्षा हेतु दाख़िला लेने वाले बच्चे को 14 साल की उम्र के बाद भी प्राथमिक शिक्षा के पूरा होने तक निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाएगी।

➢ उम्र के सबूत के अभाव में भी बच्चे को दाख़िला पाने का अधिकार होगा। निम्न दस्तावेज़ों में से किसी एक दस्तावेज़ को बच्चे की आयु के प्रमाण के रुप में समझा जायेगा–(1) अस्पताल या सहायक नर्स एवं मिड वाइफ पंजी अभिलेख, (2) आँगनबाड़ी का अभिलेख, (3) जन्म एवं

मृत्यु सम्बन्धी ग्राम पंजी, (4) माता–पिता या अभिभावक द्वारा शपथ पत्र के माध्यम से बच्चे की आयु की घोषणा।

➢ प्राथमिक शिक्षा हेतु प्रवेश के लिए बच्चे की उम्र का निर्धारण उसके जन्म प्रमाण पत्र या ऐसे ही अन्य कागजात के आधार पर किया जाएगा जो उसे जारी किये गए हों। उम्र का प्रमाण न होने की स्थिति में किसी भी बच्चे को दाख़िला लेने से वंचित नहीं किया जा सकता। प्रवेश हेतु जन्म प्रमाण पत्र एवं स्थानांतरण प्रमाण पत्र की बाध्यता नहीं है।

➢ बच्चे को एक विद्यालय से दूसरे विद्यालय में स्थानांतरण का अधिकार है। यह स्थानांतरण चाहे अपने ही राज्य के भीतर हो या राज्य के बाहर के विद्यालय में हो, उसे स्थानांतरण का अधिकार है। यदि किसी विद्यालय में प्रारम्भिक शिक्षा पूरा करने का प्रावधान नहीं है तो बच्चे को किसी भी दूसरे विद्यालय में स्थानांतरण लेने का अधिकार होगा।

➢ अलाभित समूह एवं दुर्बल वर्ग के बच्चों के लिए सभी निजी विद्यालयों की पहली कक्षा में दाख़िला लेने के लिए 25 फीसदी का आरक्षण।

➢ कक्षा 1–8 की प्रारम्भिक शिक्षा पूर्ण होने से पहले किसी भी बच्चे को कक्षा में फेल नहीं किया जायेगा, निकाला नहीं जाएगा या बोर्ड परीक्षा उत्तीर्ण करने की बाध्यता नहीं की जाएगी। कक्षा 8 तक किसी भी बच्चे को किसी भी कक्षा में रोके रखने अर्थात फेल करने पर प्रतिबंध।

➢ प्राथमिक शिक्षा पूरा करने वाले विद्यार्थियों को एक प्रमाण पत्र दिया जाएगा।

➢ बच्चों को शारीरिक दण्ड देना एवं मानसिक रूप से प्रताड़ित करना प्रतिबंधित है।

➢ प्रवेश हेतु कैपिटेशन फीस लिया जाना प्रतिबंधित है। किसी प्रकार का चन्दा लेना वर्जित है।

➢ विद्यालय प्रबन्ध समिति में 3/4 सदस्य–अभिभावक, 50 प्रतिशत महिलाएं तथा कमज़ोर एवं वंचित वर्ग को अनुपातिक प्रतिनिधित्व है।

➢ स्थानीय निकाय के सहयोग से विद्यालय प्रबन्ध समिति द्वारा विद्यालय विकास योजना का निर्माण, प्रबंधन व मॉनिटरिंग करना।

➢ बिना मान्यता के किसी भी विद्यालय का संचालन नहीं किया जायेगा।

➢ सभी मौसमों के लिए उपयुक्त भवन, जिसमें प्रत्येक शिक्षक के लिए कम से कम एक कक्षा कक्ष, कार्यालय–सह–भंडार–सह–प्रधानाध्यापक कक्ष; बाधा मुक्त पहुँच; बालक एवं बालिकाओं के लिए पृथक शौचालय; सभी बच्चों के लिए सुरक्षित और पर्याप्त पेयजल सुविधा; एक रसोई घर, जहाँ विद्यालय में मध्याह्न भोजन पकाया जाएगा; खेल का मैदान; बाउंड्री वाल/फेंसिंग।

विद्यालय प्रबन्ध समिति की संरचना, गठन, कार्यकाल एवं समिति के कार्य

शिक्षा के अधिकार में समुदाय की सक्रिय भागीदारी की परिकल्पना की गयी है। विद्यालय प्रबंध समिति के माध्यम से अभिभावकों की विशेष भूमिका और दायित्व तय किये गये हैं। यहाँ शिक्षक का दायित्व है कि विद्यालय प्रबंध समिति के सदस्यों को समय पर विद्यालय की कार्यप्रणाली और विभिन्न प्रावधानों, आदि पर जागरूक करें और जोड़ने का प्रयास करें जिससे विद्यालय में एक बेहतर प्रबंधन व्यवस्था से संबंधित मुद्दों पर काम करने के लिये विद्यालय प्रबंध समिति एवं शिक्षक एक साथ मिलकर काम कर सकें। संरचना एवं गठन निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 की धारा 21 के तहत प्रत्येक विद्यालय में एक 'विद्यालय प्रबन्ध समिति' गठित होगी। उत्तर प्रदेश निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियमावली, 2011 के अनुसार समिति में कुल 15 सदस्य होगें। 15 सदस्यों में से 11 सदस्य विद्यालय में दाखिला प्राप्त बच्चों के माता–पिता या अभिभावक होगें और चार नामित सदस्य होगें। समिति के कुल सदस्यों में से कम से कम 50 प्रतिशत महिलाएं होंगी। चार नामित सदस्य निम्नलिखित होगें– 1. स्थानीय प्राधिकारी द्वारा नामित सदस्य 2. एक सदस्य सहायक नर्स एवं मिड वाईफ (ए0एन0एम0) में से लिया जायेगा। 3. जिला मजिस्ट्रेट द्वारा नामित एक लेखपाल 4. विद्यालय का प्रधानाध्यापक इस समिति का पदेन सदस्य सचिव होगा।

➢ विद्यालय प्रबंध समिति के 11 संरक्षक सदस्यों में एक–एक सदस्य अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति, अन्य पिछडा वर्ग तथा कमजोर वर्ग के बालक के माता–पिता अथवा संरक्षक सम्मिलित होंगें।

➢ इसके लिये अध्यापक विद्यालय क्षेत्र के दायरे मे सभी अभिभावकों की खुली सभा में भागीदारी के लिए व्यापक प्रचार–प्रसार करेगें व बैठक का स्थान, दिनांक तय करें। बैठक वाले दिन सभी अभिभावकों को बैठक के उद्‌देश्य बताते हुए विद्यालय प्रबंध समिति सम्बन्धी शासनादेश के प्रमुख बिन्दुओं से अवगत करायेगें।

➢ विद्यालय प्रबंध समिति के 11 सदस्यों का बैठक में आम सहमति से चुनाव किये जाने के उपरान्त, चयनित 11 सदस्य स्वयं में से अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष का चुनाव आपसी सहमति से करेगें।

➢ विद्यालय प्रबन्ध समिति समुदाय के अपवंचित वर्गों, यथा– महिला, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, मजदूर, किसान, पिछड़ों को समुचित प्रतिनिधित्व देकर समाज को मुख्यधारा से जोड़ेगी।

➢ प्रारम्भिक शिक्षा के विकास में अभिरुचि रखने वाले समर्पित एवं समय देने वाले व्यक्तियों को इसमें शामिल होने का अवसर दिया जाएगा। विद्यालय प्रबंध समिति की बैठक में गांव में निवासरत् सेवानिवृत्त शिक्षक अथवा अन्य विभाग से सेवानिवृत्त अधिकारी/कर्मचारियों को सम्मिलित किया जाय जिससे विद्यालय के विकास में उनका महत्वपूर्ण योगदान लिया जा सके।

कार्यकाल

- विद्यालय प्रबंध समिति का कार्यकाल दो वर्ष का होगा। दो वर्ष के बाद समिति का पुनर्गठन किया जायेगा।
- प्रत्येक वर्ष माह अप्रैल में विद्यालय प्रबन्ध समिति के अभिभावक सदस्यों को (बच्चों द्वारा विद्यालय छोड़ने की स्थिति में) शामिल करने हेतु अद्यतन किया जायेगा।
- विद्यालय प्रबन्ध समिति के अध्यक्ष बदल जाने की स्थिति में अथवा प्रधानाध्यापक के स्थानान्तरण की स्थिति में खाता संचालन में यथा आवश्यक संशोधन जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी की अनुमति से किया जायेगा।

विद्यालय प्रबंध समिति के कार्य

- 06 से 14 वर्ष के सभी बालक/बालिकाओं का शत–प्रतिशत नामांकन एवं नियमित उपस्थिति सुनिश्चित करना।
- यह सुनिश्चित करना कि सभी अध्यापक और छात्र विद्यालय में नियमित रूप से समय पर आये।
- विद्यालय न जाने वाले बच्चों के बारे में जानकारी लेना/देखरेख करना।
- विद्यालय से बाहर के बच्चों का आयु संगत कक्षा में नामांकन कराना तथा ऐसे बच्चों के लिए विशेष प्रशिक्षण की व्यवस्था करना और इसकी गुणवत्ता की देखरेख करना।
- बच्चों को बिना भेदभाव व भय के शिक्षा का अधिकार न मिलने पर स्थानीय प्राधिकारी को सूचित करना।
- विशिष्ट आवश्यकता वाले (दिव्यांग) बच्चों का नामांकन कराना तथा प्रारम्भिक शिक्षा पूरी होने तक इनकी सुविधाओं एवं भागीदारी की देखरेख करना।
- यह सुनिश्चित करना कि अध्यापक अभिभावकों की नियमित बैठक कर बच्चों की उपस्थिति एवं सीखने की प्रगति के बारे में उन्हें बतायें।
- मध्याह्न भोजन की नियमितता एवं गुणवत्ता का ध्यान रखना।
- बच्चों के अधिकार एवं शिक्षा का अधिकार अधिनियम के बारे में आस–पास के लोगों को बताना तथा विद्यालय में अधिनियम के मानक के अनुसार सुविधाए एवं कार्य हों, इसकी देखरेख करना।
- अध्यापकों पर जनगणना, चुनाव, आपदा राहत को छोड़कर अन्य गैर सरकारी कार्यों का भार न हो। साथ ही अध्यापक द्वारा निजी अध्यापन में रोक सुनिश्चित करना।
- प्रत्येक माता–पिता या अभिभावक का यह कर्तव्य होगा कि वह अपने बच्चे या आश्रित को दाखिला पड़ोस के विद्यालय में कराये या कराने के लिए तैयार रहे।

विद्यालय प्रबन्ध समिति के दायित्व

- हाउस होल्ड सर्वेक्षणः विद्यालय के अध्यापकों एवं बस्ती के स्वयं सेवकों के सहयोग से हाउस होल्ड सर्वेक्षण कराया जायेगा। सर्वे में प्रत्येक बस्ती/मजरे का हाउस होल्ड सर्वे किया जाता है जिसमें 06–14 आयु वर्ग के सभी बच्चों का विवरण एकत्रित किया जायेगा।
- ऐसे बच्चे जो स्थायी निवासी नही हैं या विद्यालय की परिधि में न होने के कारण छूट जाते हैं, उन बच्चों हेतु विशेष सर्वेक्षण कराया जाए।
- यदि अपने ग्राम सभा/वार्ड के घुमंतु परिवार या कोई परिवार/बच्चा दूसरे स्थान से माइग्रेट होकर गांव/वार्ड में आता है, उसकी सूचना एक प्रारूप पर अलग से एक रजिस्टर में संकलित करते है, जिसमें घुमंतु बच्चे कब, कहां, कब तक, गये, कब वापस आयेंगे आदि कालम को सम्मिलित करें।
- प्रत्येक विद्यालय में बाल गणना रजिस्टर होगा जिसमें विद्यालय क्षेत्र के समस्त 06–14 वर्ष के सभी बच्चों का नामवार विवरण रखा जायेगा।
- बच्चों को निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों, का वितरण किया जायेगा।
- विद्यालय में दिव्यांग बच्चों के लिये निःशुल्क विशेष शिक्षा, सहायक सामग्री एवं उपकरण की व्यवस्था की जायेगी। डी.बी.टी. के माध्यम से छात्र–छात्राओं को यूनीफार्म, स्वेटर जूते–मोजे एवं स्कूल बैग खरीदने के लिए माता/पिता/अभिभावकों के बैंक खातों में रू0 1200/– धनराशि के सम्बन्ध में जानकारी।
- अध्यापक द्वारा यह सुनिश्चित किया जाये. कि समस्त नामांकित बच्चों का विवरण प्रेरणा पोर्टल पर अनिवार्य रूप से दर्ज किया गया है।
- अध्यापक द्वारा डी.बी.टी. एप्प के माध्यम से बच्चों का विवरण स्त्यापित किया जाये एवं बैंक विवरण अंकित करते हुए प्रमाणित किया जाये।
- डी0बी0टी0 के माध्यम से धनराशि प्राप्त करने हेतु छात्र–छात्राओं के माता/पिता/अभिभावकों का बैंक खाता आधार सीडेड (अर्थात् बैंक खाता आधार से जुड़ा हो) और सक्रिय होना आवश्यक है।
- माता/पिता/अभिभावक यह सुनिश्चित करें कि छात्र–छात्राओं को प्रतिदिन यूनीफार्म में हीं विद्यालय भेजें।

विद्यालय प्रबंध समिति की निगरानी सम्बन्धी भूमिका :–

➢ 06–14 वर्ष के सभी बच्चों का नामांकन एवं ठहराव की निगरानी

➢ 06–14 वर्ष के बच्चों को कक्षा–8 तक निःशुल्क शिक्षा मिले– किसी बच्चे से किसी प्रकार की फीस नहीं ली जायेगी।

➢ विद्यालय के आसपास/परिक्षेत्र के सभी बच्चों का विद्यालय में नामांकित कराना।

➢ मासिक बैठक में विद्यालय में नामांकित बच्चों की नियमित उपस्थिति पर निगरानी के लिए तथा अनियमित उपस्थिति वाले बच्चों को चिंहित कर उनकी सूची बनायें। तत्पश्चात सम्बन्धित बच्चों के अभिभावक के साथ वार्ता करें। लगातार विद्यालय न आने वाले (5 दिन या उससे अधिक दिन अनुपस्थित रहने वाले) बच्चों की पहचान करना तथा विद्यालय प्रबन्ध समिति के बैठक रजिस्टर में उनका विवरण दर्ज करना तथा निवारण हेतु अभिभावकों से चर्चा करना।

➢ विद्यालय प्रबंध समिति के सदस्य विद्यालय में लगातार अनुपस्थित रहने वाले बच्चों की सूची बैठक रजिस्टर से देखकर सूचना प्राप्त करना एवं बच्चों के अभिभावकों से मिलकर बच्चों को नियमित विद्यालय भेजने एवं बच्चों को विद्यालय आने हेतु प्रेरित करना।

➢ बच्चे के विद्यालय न आने के कारणों का पता लगाकर अपने स्तर से निवारण का उपाय करना जैसे–ऐसे बच्चे जो बीमारी के कारण विद्यालय नही आते हैं उनके माता–पिता को बीमारी से रोकथाम के उपाय बताना। निकट के सरकारी अस्पताल से सम्पर्क कर बच्चों के स्वास्थ्य की जांच कराना।

➢ प्रार्थना, बाल सभा व मीना मंच की बैठक के दौरान बच्चों को व्यक्तिगत स्वच्छता की जानकारी देना। आउट ऑफ स्कूल बच्चो ं को उनकी उम्र के सापेक्ष प्रवेश एवं विशेष प्रशिक्षण की व्यवस्था की निगरानी

➢ 6 वर्ष से अधिक आयु के प्रत्येक आउट ऑफ स्कूल बच्चे को आयु अनुसार कक्षा में नामांकन एवं कक्षा के अनुरूप अधिगम स्तर तक लाने के लिये विशेष प्रशिक्षण की व्यवस्था की गई है। इन बच्चों के नामांकन पश्चात् दी जाने वाली विशेष प्रशिक्षण की व्यवस्था व उसके सुचारू संचालन की निगरानी करना। विशेष आवश्यकता वाले (दिव्यांग) बच्चों का चिन्हांकन, नामांकन एवं प्रावधानों की उपलब्धता की निगरानी

बाल अधिकार एवं बाल अधिकारों का संरक्षण बाल अधिकार एवं बाल अधिकार संरक्षण की जानकारी

बाल संरक्षण क्या है–

बच्चों के बाल अधिकारो को संरक्षित करने एवं उनके सर्वागीण विकास के साथ–साथ सर्वोत्तम बाल हित को सुनिश्तिच करना बाल संरक्षण कहलाता है।

बाल अधिकार क्या है–

बच्चों (0 से 18 वर्ष तक) की देखभाल और संरक्षण को सुनिश्चित करने वाले 04 अधिकारों क्रमशःजीने का अधिकार ,विकास का अधिकार ,सहभागिता का अधिकार और सुरक्षा का अधिकार ही बाल अधिकार है।

- **प्रथम : जीवन का अधिकार** इसमें जीवन का अधिकार, स्वास्थ्य एवं पोषण के उच्चतम मानकों, जीवन जीने का स्तर तथा नाम एवं नागरिकता का अधिकार शामिल हैं।
- **द्वितीय : सुरक्षा का अधिकार** इसमें सभी प्रकार के शोषण, दुर्व्यवहार, अमानवीय एवं अपमानजनक व्यवहार, उपेक्षा से मुक्ति एवं सशस्त्र संघर्ष और आपातकालीन स्थितियों मे सुरक्षा शामिल हैं।
- **तृतीय : विकास का अधिकार** इसमें शिक्षा का अधिकार, बाल्यकाल पूर्व शिक्षा एवं विकास, सामाजिक सुरक्षा का अधिकार, एवं अवकाश, मनोरंजन एवं सांस्कृतिक गतिविधियों का अधिकार शामिल हैं।
- **चतुर्थ : सहभागिता का अधिकार** इसमें बच्चों के विचार, अभिव्यिक्ति की स्वतंत्रता, उचित जानकारी तक पहुँच, विचार, अंतःकरण एवं धर्म की स्वतंत्रता शामिल है।

बाल संरक्षण को प्रभावित करने वाले कारक

1. बाल विवाह : जिन बच्चों की शादी संविधान में उल्लिखित विवाह की कानूनी उम्र से पहले हुई हो। विवाह के समय लड़के और लड़की की उम्र क्रमशः 21 वर्ष और 18 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए।

2. बाल श्रम : इसका मतलब 18 वर्ष से कम उम्र के वे बच्चे हैं जो दिखावटी आजीविका और श्रम कार्य में लगे हुए हैं।

3. बाल तस्करी से प्रभावित बच्चेंः अगर कोई 18 वर्ष से कम आयु के किसी बालक या बालिका को बहला फुसलाकर या फिर उसकी इच्छा के विरूद्ध शोशण के इरादे से अगवा करता है तो, यह कार्य बच्चों के अवैध व्यापार के अंतर्गत आएगा। जबरन शादी, वेश्यावृत्ति, भीख मंगवाने, मजदूरी, अंग व्यापार और आतंकी गतिविधियों के उद्देश्य से बालक–बालिकाओं का उपयोग करना ये सभी बाल तस्करी के स्वरूप मे आते हैं।

4. बाल यौन हिंसा– बाल शोषण का रूप है, जिसमें एक वयस्क या बड़ा व्यक्ति, यौन उत्तेजना के लिए एक बच्चे का उपयोग करता है। बाल यौन शोषण के रूपों में यौन गतिविधियां एक बच्चे के साथ, (चाहे पूछ कर या दबाव डाल कर, या अन्य साधनों के द्वारा) अभद्र प्रदर्शन, (जननांगों, महिला निपल्स, आदि के) बच्चे संवारने, बाल लैंगिक अत्याचार या चाइल्ड पोर्नोग्राफी का निर्माण करने के लिए बच्चे का उपयोग करना संलग्न शामिल हैं।

बाल अधिकार संरक्षण अधिनियम में उल्लिखित बाल अधिकार

- प्रत्येक बच्चे को जन्म लेने तथा जीवित रहने का पूर्ण अधिकार है।
- प्रत्येक बच्चे को बिना किसी भेदभाव के पोषण अर्थात् पर्याप्त भोजन पाने का अधिकार है।
- प्रत्येक बच्चे को माता–पिता एवं समुदाय का भरपूर प्यार एवं दुलार पाने का अधिकार है।
- प्रत्येक बच्चे को घर तथा घर के बाहर संरक्षण (सुरक्षा) का अधिकार है।
- प्रत्येक बच्चा स्वाभाविक रूप से मनोरंजन भी चाहता है। उसे मनोरंजन का अधिकार है।
- प्रत्येक बच्चा खेलना अवश्य पसन्द करता है और यह उसके जीवन के लिए आवश्यक है। उसे खेलने का अधिकार है।
- प्रत्येक बच्चे को अपने मनोभावों को प्रकट करने अर्थात् अभिव्यक्ति का अधिकार है।
- बच्चे ही देश के भावी कर्णधार हैं इसलिए प्रत्येक बच्चे को सुयोग्य नागरिक बनने का अधिकार है।
- प्रत्येक बच्चे को सर्वांगीण विकास का अधिकार है।
- 06–14 वर्ष के प्रत्येक बच्चे को कक्षा–1 से कक्षा–8 तक की निःशुल्क शिक्षा प्राप्त करने एवं पूरा करने का अधिकार है।
- किसी भी बच्चे के साथ लैंगिक, जातीय अथवा धार्मिक भेदभाव न किया जाये, उन्हें समानता का अधिकार है।

बाल अधिकारों की सुरक्षा के लिए व भयमुक्त, संवेदनशील वातावरण का सृजन करने के लिए विद्यालय प्रबंध समिति निम्नवत कार्य कर सकते हैं–

- हर बच्चे का विद्यालय में स्वागत आदर करके।
- अनुशासन के लिये बच्चों को विद्यालय में किसी प्रकार का शारीरिक दण्ड या मानसिक यातना का समर्थन नहीं करना।
- हर बच्चा विद्यालय में अपने को सुरक्षित महसूस करे, खुश रहे तथा उसका आत्मविश्वास बना रहे और उसके सभी अधिकार बरकरार रहें। सभी बच्चों की प्रतिभाओं को उभारने का समुचित अवसर दें।
- विद्यालय की किसी भी गतिविधि में जैसे कक्षा–कक्ष में सहभागिता, मध्याह्न भोजन, खेल–कूद, साफ–सफाई आदि में किसी प्रकार का जातिगत, वर्ग, धर्म व लिंग के आधार पर बच्चों के साथ भेदभाव नहीं होने दे।
- किसी बच्चे के अधिकारों का हनन हो रहा हो तो उसकी सूचना ग्राम शिक्षा समिति अथवा ग्राम बाल कल्याण एवं संरक्षण समिति को दे।
- विद्यालय में बाल संसद व मीना मंच का गठन करके उन्हें संगठित होकर अभिव्यक्ति के अवसर दे।
- विद्यालय में एक शिकायत पेटिका रखें जिसमें बच्चे अपनी उन समस्याओं को लिखकर डाले जिन्हें वे कहनें में हिचकते हों। यह शिकायत पेटी विद्यालय प्रबंध समिति के सामनें खोली जाये।

गीत

बच्चों की पढ़ाई पे विचार होना चाहिए।
जिम्मेदारी जिसकी उससे बात होनी चाहिए
कुछ ऐसे बच्चे जो विद्यालय नही आते है,
मां बाप उनसे घर का काम करवाते है,
ऐसे अभिभावकों से बात होनी चाहिए।
जिम्मेदारी जिसकी उससे बात होनी चाहिए
बच्चों की पढाई पे विचार होना चाहिए।
कुछ ऐसे बच्चें जो विद्यालय नही जाते है,
खाए पिये बस्ता लेके घर भाग जाते है,
ऐसे पंचायतों से बात होनी चाहिए।
जिम्मेदारी जिसकी उससे बात होनी चाहिए
बच्चों की पढ़ाई पे विचार होना चाहिए।
कुछ ऐसे बच्चें जो विद्यालय रोज जाते है,
बिना कुछ सीखे, पढे घर को आ जाते है,
ऐसे शिक्षकों से सीधे बात होनी चाहिए,
जिम्मेदारी जिसकी उससे बात होनी चाहिए
बच्चों की पढ़ाई पे विचार होना चाहिए।

21 वर्षों से
मानव सेवा में समर्पित
एक
सामाजिक संस्था

जनहित में
नि:शुल्क वितरण हेतु

'ROSA'

Registered office :
Rural Organization for Social Advancement -"ROSA"
Address : Kakarmatta, (Near- Adarsh bal Vidyalaya "ROSA" Colony)
BLW. Varanasi-221 004 (UP) INDIA,
Mob : +91 9450156972, +91 8874619862

email: rosasansthan@gmail.com I facebook : Rosa Sansthan I website: www.rosanow.org

प्रकाशन वर्ष सितंबर 2024 । कुल मुद्रित प्रतियाँ 2000